17/8/18

पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. (बाजदायरी) पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण न्यायालय हाजा में बहस हेतु विचाराधीन था जिसमें आगामी पेशी दिनांक 22.02.2018 की पेशी नियत थी। अभिभाषक प्रार्थी अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने के कारण बरवक्त आवाजे दिलाये जाने पर उपस्थित नही हो सकें एवं अप्रार्थीगण के नोटिस पेश नही किये जाने के कारण दिनांक 22.02.2018 को न्यायालय हाजा ने अपील को अदम तकमील में खारिज फरमा दी। प्रार्थी एवं अधिवक्ता की गैरहाजरी जानबूझकर नही हुयी एवं अधिवक्ता की लापरवाही से प्रकरण दिनांक 22.02.2018 को अदम तकमील में खारिज किया गया है। न्याय हित में आदेश दिनांक 22.02.2018 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. (बाजदायरी) को स्वीकार किया जाकर, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.02.2018 को निरस्त किया जावें एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी को दिनांक 22.02.2018 को न्यायालय हाजा द्वारा आवाजें दिलाये जाने पर उपस्थित नही हुए, एवं अप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये जाने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा अपील को विधि सम्मत अदम तकमील में खारिज की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. (बाजदायरी) को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभि0 प्रार्थी ने अप्रार्थीगण, जिसकी अपील में तलबी होना शेष है, के रजि0ए0डी0 नोटिस पेश करने एवं भविष्य में न्यायालय के अन्य आदेशों की यथासमय पालना करने के आश्वासन पर एवं न्यायहित में हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. (बाजदायरी) को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. (बाजदायरी) को स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.02.2018 को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

Scanned by CamScanner